[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं. 38/2016 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.)

नई दिल्ली, दिनांक 26 जुलाई, 2016

सा.का.नि. (अ), - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियामवली, 2002 के नियम 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 35/2001- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.) जिसे सा.का.नि. 464 (अ), दिनांक 26 जून, 2001 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और आगे भी संशोधन करता है, यथा -

उक्त अधिसूचना में,-

(i) उपवाक्य (1) के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा -

''बशर्ते कि ऐसा कोई व्यक्ति जो कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के अध्याय शीर्ष 7113 के अंतर्गत आने वाले आभूषणों की वस्तुओं या आभूषणों की वस्तुओं के भाग या दोनों का किसी कारीगर के द्वारा या अन्य किसी प्रकार से विनिर्माण कराता है, 31 जुलाई, 2016 तक अपना पंजीकरण करा सकता है।''

(ii) उपवाक्य (7) के पश्चात निम्नलिखित परंतुक को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा :-

''बशर्ते कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के अध्याय शीर्ष 7113 के अंतर्गत आने वाले आभूषणों की वस्तुओं या आभूषणों की वस्तुओं के भाग या दोनों के विनिर्माता या प्रधान विनिर्माता, जैसी भी स्थिति हो, के मामले में, जैसा कि उपवाक्य (i) के अंतर्गत दिया गया है, अपने कारखाने के परिसर का प्लान जमा करने की जरूरत नहीं होगी।''

[फा.सं. 354/25/2016-टीआरयू (पार्ट-I)]

(अनुराग सहगल)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना सं. 35/2001-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.), दिनांक 26 जून, 2001, को सा.का.नि. 464 (अ), दिनांक 16 सितम्बर, 1993 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 32/2016-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.), दिनांक 11 जुलाई, 2016, जिसे सा.का.नि. 679 (अ), दिनांक 11 जुलाई, 2016 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।